सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 28, शुक्रवार, शाके 1930–दिसम्बर 19, 2008
Agrahayana 28, Friday, Saka 1930–December 19, 2008

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगर निगम जोधपुर (विवाह स्थल) उपविधियां 2008

राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 की धारा 367 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, जोधपुर द्वारा निम्नानुसार उपविधियां बनाती है।

नामतः–

1. **शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव :**

(1) ये उपविधियां "नगर निगम, जोधपुर (विवाह स्थल) उपविधियां, 2008" कहलावेंगी।

(2) यह उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राज–पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगी।

(3) यह उपविधियां नगर निगम, जोधपुर की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी।

2. **शाब्दिक परिभाषाएं :**

उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार परिभाषित होंगी। निम्नांकित शब्दों के अतिरिक्त इन उपविधियों में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा वही होगी जो राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 में परिभाषित हैं :–

(1) 'अध्यादेश' से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 (सन् 2008 का अध्यादेश सं. 10) से है।

(2) 'महापौर' से तात्पर्य नगर निगम, जोधपुर के महापौर से है।

(3) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 की धारा 55 के अंतर्गत नगर निगम, जोधपुर से सम्बन्धित लाईसेंस समिति के अध्यक्ष से है।

(4) 'अनुज्ञापत्र' से तात्पर्य इन उपविधियों के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र से है।

(5) 'अनुज्ञाधारी' से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है इसमें उनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित हैं।

(6) 'आयुक्त' से तात्पर्य नगर निगम, जोधपुर के आयुक्त से है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सम्मिलित है।

(7) "अनुज्ञाप्राधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम के उस अधिकारी से है जो निगम द्वारा इन उपनियमों के प्रयोजनार्थ अनुज्ञाप्राधिकारी नियुक्त किया जावे।

(8) 'निगम' से अभिप्रेत नगर निगम, जोधपुर से है।

(9) 'विवाह स्थल' से तात्पर्य सगाई, शादी एवं अन्य इसी प्रकार के आयोजित सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/मांगलिक कार्यक्रम/अन्य समारोह इत्यादि जिस स्थल पर आयोजित किये जाते हैं तथा ऐसे आयोजनकर्ता से निगम द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल किया जाता है।

(10) 'प्रपत्र' से तात्पर्य इन उपनियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों से है।

जो शब्द परिभाषित नहीं किये गये हैं उनके संबंध में नगरपालिका अध्यादेश, 2008 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. निषेध :

नगर निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी बिना नगर निगम की अनुज्ञा प्राप्त किये ऐसे स्थान का विवाह स्थल' के रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में एक माह के अन्दर निर्धारित प्रक्रिया अपना कर अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति की प्रणाली :

कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो विवाह स्थल लगाना चाहता है तो:-

(1) निर्धारित प्रपत्र (1) में आवेदन करेगा।

(2) निर्धारित स्थल का ब्लू प्रिन्ट (तीन प्रतियों में) संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में विस्तृत विवरण देना होगा।

(3) आवेदक अपने मालिकाना हक के प्रपत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(4) विवाह स्थल मालिक की सहमति, यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है, देनी होगी।

(5) आवेदक विवाह स्थल मालिक का एवं पडौसी को कोई आपत्ति न होने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा। यहां पडौसी का आशय निकटतम पड़ौसी से अभिप्रेत है।

5. अनुज्ञाप्राधिकारी की नियुक्ति :

(1) इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञाप्राधिकारी होंगे जब तक कि निगम एतद् प्रयोजनार्थ शक्तियों को अन्यथा प्रत्यायोजन न करे।

(2) इन उपविधियों की इसी प्रकार क्रियान्विति हेतु अनुज्ञाप्राधिकारी समय-समय पर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा।

6. अनुज्ञा प्राधिकारी का निर्णय :

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् नगर निगम के सक्षम अधिकारी (आयुक्त) द्वारा इसके प्रस्तावित स्थान की जांच की जावेगी, उसके बाद अनुमति दी जा सकेगी।

इन उपविधियों की उपविधि 4 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा यदि-

(1) आवेदन पत्र में निर्धारित प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये हों।

(2) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी गयी हो।

(3) अनुज्ञाधारी द्वारा लाईसेंस की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो। अनुज्ञा-पत्र किसी भी समय निलंबित या निरस्त किया जा सकेगा परन्तु ऐसा करने से पूर्व अनुज्ञाधारी को स्पष्टीकरण का यथोचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

7. प्रतिबन्ध :

ऐसे स्थान पर जहां पर रात्रि कालीन शिक्षण संस्थाए या अन्य प्रकार की कोई संस्था चालू हो तथा सामुदायिक विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचती हो वहां पर सामुदायिक विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा आयोजन स्थल (परिसर) को 'सील' किया जा सकेगा।

8. अनुज्ञा-पत्र फीस :

इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये जाने वाले विवाह स्थल पर प्रतिवर्ग फीट क्षेत्रवार प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञा शुल्क देय होगा। शुल्क वित्तीय वर्ष के लिए देय होगा तथा यदि यह मध्य से स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का अनुज्ञा शुल्क देय होगा। शुल्क का निर्धारण लाईसेन्स समिति/बोर्ड द्वारा

निर्धारित किया जायेगा। यह निम्नानुसार देय होगा --

$$\frac{\text{DLC Rate x Area}}{500}$$

प्रति कार्यक्रम शुल्क रु. 1000/- अतिरिक्त देय होगा। वार्षिक शुल्क एक मुश्त जमा कराना होगा। नवीनीकरण प्रपत्र संख्या (5) प्रस्तुत करने पर (1 फरवरी से 31 मार्च की अवधि के मध्य) अगले वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

9. लाईसेन्स निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा :

(1) स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जावेंगे।

(2) इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनाएं परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी।

(3) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम अथवा माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी तथा ध्वनि प्रदूषण 45 डेसीबल से कम आवाज में होगा जिससे आमजनों को असुविधा नहीं हो।

(4) विवाह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिए निगम द्वारा निर्देशित नाप एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा तथा रुपये 1000/- प्रति समारोह सफाई शुल्क अलग से जमा कराना होगा।

(5) अग्निशमन संबंधित उपकरण एवं व्यवस्थायें लगवाकर निगम से एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी।

(6) अनुज्ञा-पत्र धारी को स्वयं के स्तर पर सुविधाजनक, सुरक्षित, पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा। जो स्थल/भवन परिसर के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूमि से कम आरक्षित नहीं होगी तथा प्रावधान के उल्लंघन दर 500/- रुपये जुर्माना देय होगा।

(7) स्थल/भवन का निर्धारण शुल्क अग्रिम जमा कराना होगा तथा अनुज्ञापत्र धारी प्रपत्र संख्या (2) में इकरारनामा लिखेगा तथा प्रपत्र संख्या (3) के अनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद अनुज्ञापत्र प्रपत्र संख्या (4) अनुसार जारी किया जायेगा।

(8) स्थल/भवन जनजीवन व स्वास्थ्य के प्रति असुविधाजनक व हानिकारक नहीं हो तथा ऐसे स्थल/भवन के अपेक्षित उपयोग से किसी प्रकार का कोई अनुत्रास भी उत्पन्न नहीं हो।

(9) सार्वजनिक मार्गों पर धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वाणिज्यिक, विवाह, उत्सव या अन्य प्रयोजनार्थ कोई अस्थाई पण्डाल, वाहन पार्किंग, दरवाजा, पर्दे या अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसे निगम द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा।

(10) अनुज्ञाधारक को आपदा प्रबंधन/बीमा स्वयं के व्यय से करना होगा।

10. विशेष परिस्थितियों में :

(1) इन उपविधियों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा मनोनीत/नियुक्त अधिकारी का होगा।

(2) न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 की धारा 330 के प्रावधानानुसार होगा।

(3) इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा रुपये 5000/- तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक रुपये 25/- प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

(4) अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 की धारा 88 व 320 के अनुसार निगम कोष में हस्तांतरित की जावेगी।

(5) अनुज्ञापत्र की स्वीकृति समय की समाप्ति पर वह करे जिसने अनुज्ञा ली है। अनुज्ञा नवीनीकरण नहीं करवाता है तो आयुक्त ऐसे समय में जो भी उनके द्वारा प्रत्येक मामले में निश्चित किया जावे, उस अनुज्ञाधारी को सूचना पत्र देगा और इस प्रकार निश्चित किये गये समय की समाप्ति पर आयुक्त उस अनुज्ञापत्र को निरस्त कर सकेगा तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने वाले जामीन को भी सूचना पत्र देकर वसूली की जा सकेगी।

(6) यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के नगर निगम सीमा में विवाह स्थल बनाया जाता है तो उसे निगम द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

(7) यह है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में अस्पताल के आस-पास कम से कम 100 मीटर की दूरी में स्थित विवाह स्थल को लाइसेन्स की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

(8) यह है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों को जनरेटर इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

(9) यह है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित बिकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मौहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये हैं। उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया जावेगा, न ही उन्हें अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जावेगा।

(10) सामुदायिक केन्द्र जो जोधपुर नगर निगम व जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये हैं एवं जो सार्वजनिक धर्मशालाएं बनी हुई हैं एवं सार्वजनिक मौहल्ला विकास समितियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के भवन बनाये हुए हैं उन सभी में निर्धारित शुल्क में छूट देने का अधिकार संबंधित समिति का रहेगा।

(11) पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर विवाह स्थल वालों को करनी पडेगी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना, जिलाधीश एवं यातायात पुलिस व जोधपुर नगर निगम को देनी आवश्यक है।

(12) विवाह स्थल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक-एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी। विवाह स्थल का रजिस्ट्रेशन किया जाकर लाइसेन्स लिया जाना व्यावसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन नहीं माना जावेगा। नियमानुसार राज्य सरकार या संबंधित संस्था भू-परिवर्तन की राशि लेने के लिए सक्षम होगी।

(13) लाइसेन्स निषेध करने का अधिकार जोधपुर नगर निगम की संबंधित समिति को होगा।

(14) विवाह स्थल का लाइसेन्स दिए जाने से उसको स्वामित्व के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

11. अपील :

इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस में महापौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा निगम का निर्णय अंतिम होगा।

12. निरसन और व्यावृतियां :

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेंगी।

प्रपत्र संख्या (1)

विवाह स्थल/भवन के उपयोग हेतु अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र

श्रीमान् आयुक्त,
नगर निगम, जोधपुर

विषय : नगर निगम, जोधपुर सीमा में स्थित स्थल/भवन के विवाह स्थल संचालन हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने बाबत्।

महोदय,

विवाह स्थल/भवन संचालन हेतु अनुज्ञा चाहिये, आवश्यक ब्योरा निम्नलिखित है :-

1. प्रार्थी का (क) नाम .....

(ख) पिता या पति का नाम : .....

(ग) उम्र : .....

(घ) मौहल्ला : .....

वार्ड संख्या : .....

2. अनुज्ञा जिस नाम पर चाहिये उसका

(क) नाम : .....

(ख) पिता या पति का नाम : .....

(ग) उम्र : .....

(घ) मौहल्ला : .....

वार्ड संख्या : .....

3. विवाह स्थल/भवन का ब्योरा

(1) नाम (क) लम्बाई : .....

(ख) चौड़ाई : .....

(ग) क्षेत्रफल : .....

(वर्ग फीट)

(2) पड़ौस (क) उत्तर : .....

(ख) दक्षिण : .....

(ग) पूर्व : .....

(घ) पश्चिम : .....

(3) नक्शे की तीन प्रतियां संलग्न हैं।

(4) अनुज्ञा कब से कब तक चाहिये।

(5) अनुज्ञा किस प्रयोजन के लिए चाहिए।

(6) अन्य कोई बात यदि हो तो।

दिनांक :– प्रार्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैंने/हमने नगर निगम, जोधपुर (विवाह स्थल) उपविधियां, 2008 पढ़कर/पढ़वाकर समझ लिये हैं और मुझे/हमें अनुज्ञा मिलने पर मैं/हम उसका अनुपालना करूंगा/करेंगे और करता रहूंगा/रहेंगे, मैं/हम 7 दिन के भीतर–भीतर इकरारनामा व जमानत नामा प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे।

दिनांक :– प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या (2)

अनुज्ञा इकरारनामा

यह अनुज्ञा इकरारनामा मैं ..... पिता .....

उम्र ..... जाति ..... निवासी .....

नगर निगम, जोधपुर के हक में लिखकर अपने को पाबन्द करता हूं कि :–

1. नगर निगम, जोधपुर की सीमा में स्थित स्थल/भवन ..... के संचालन हेतु रुपया ..... वार्षिक अनुज्ञा पर निम्न शर्तों पर ली जिसका निम्न प्रकार से विवरण है :–

पूर्व : ..... उत्तर : .....

पश्चिम : ..... दक्षिण : .....

2. कि मैं इस विवाह स्थल/भवन संचालन का अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व जमा करवाता रहूंगा/अगर मैं, शुल्क निर्धारित समय में जमा नहीं कराऊंगा तो नगर निगम, जोधपुर मुझे बिना सूचना दिये अनुज्ञा समाप्त कर व नियमानुसार चढ़ा हुआ शुल्क वसूल कर सकेगी।
3. कि मैं इस विवाह स्थल/भवन में ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे पडौसियों को ऐसे काम से किसी भी प्रकार की तकलीफ हो।
4. कि नगर निगम, जोधपुर को अधिकार होगा कि उक्त विवाह स्थल/भवन संचालन का शुल्क जब चाहे तब बढ़ा सकेगी।
5. कि मेरे द्वारा अनुज्ञा राशि समय पर जमा नहीं होगी तो नगर निगम, 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल करने की हकदार होगी।
6. कि वायु प्रदुषण निवारण हेतु विवाह स्थल/भवन में स्थित डीजल जनरेटर/भट्टियों पर हुड एवं चिमनी आस-पास के भवनों के छत से अधिक ऊंचाई एवं पर्याप्त क्षमता का एक्जास्ट फैन स्थापित करूंगा/डीजल जनरेटर को विवाह स्थल/भवन के अन्दर रखूंगा तथा उस पर अकाउस्टीफ एन्कलाइजर लगाऊंगा।
7. कि मेरे द्वारा विवाह स्थल/भवन के कुल भू-क्षेत्र में 33 प्रतिशत भाग में चारों ओर हरे-भरे वृक्ष लगाए जाएंगे।
8. कि समारोह के दौरान वाहनों की पार्किंग विवाह स्थल/भवन के भू-क्षेत्र में अन्दर ही की जावेगी। सार्वजनिक स्थान/रोड पर पार्किंग होने पर निगम नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी तथा उल्लंघन करने पर रुपये 500/- का जुर्माना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकेगा।
9. कि समारोह के दौरान रसोई, बर्तनों की धुलाई एवं टॉयलेट आदि से उत्पन्न गन्दे जल के उपचार के लिए सीवर लाइन या पर्याप्त व्यवस्था करूंगा तथा उनकी सफाई व्यवस्था सुचारू रखूंगा।
10. कि मेरे द्वारा समारोह में उत्पन्न ठोस कचरे को एकत्रित करने के लिए निगम द्वारा निर्धारित पर्याप्त क्षमता का पात्र रखूंगा।
11. कि मेरे द्वारा पार्किंग व मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
12. कि विवाह स्थल/भवन के मुख्य द्वार के सामने लगने वाला स्वागत द्वार विवाह स्थल/भवन के अन्दर लगाऊंगा।
13. कि मेरे विवाह स्थल/भवन में समारोह के दौरान माईक/लाउडस्पीकर चलाने के लिए प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से अनुमति प्राप्त कर ली है तथा उल्लंघन करने पर नियमानुसार जुर्माना अदा करूंगा।
14. कि विवाह स्थल/भवन को नगर निगम के अधिकारी/निरीक्षक स्तर का कोई भी अधिकृत कर्मचारी निरीक्षण कर सकेगा तथा मौके पर दिशा-निर्देश दिये जाने पर उनकी पालना की जावेगी।
15. आपदा प्रबन्धन/बीमा स्वयं के व्यय से करूंगा।
16. कि उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त विवाह स्थल/भवन संचालन अनुज्ञा के सम्बन्ध में नगर निगम, जोधपुर द्वारा समय-समय पर अन्य शर्तें जो भी निर्धारित की जावें तो मैं उनकी पालना करूंगा।

यह कि उक्त शर्तों अथवा किसी भी शर्त को मेरे द्वारा उल्लंघन करने पर नगर निगम, जोधपुर अनुज्ञा निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगी।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

साक्षी:-

साक्षी:-

प्रपत्र संख्या (3)

प्रतिभूति

मैं..... पिता.....

निवासी..... उम्र..... वर्ष

यह प्रतिभूति देता हूं कि श्री..... पिता श्री.....

निवासी..... उम्र..... वर्ष

ने नगर निगम, जोधपुर से विवाह स्थल/भवन हेतु रु. ..... (अक्षरे रुपये .....

.....) वार्षिक पर मेरी प्रतिभूति पर अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। उक्त अनुज्ञा राशि श्री ..... के द्वारा निगम कोष में समय पर जमा नहीं करायेंगे तो नगर निगम, जोधपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि मेरे से या मेरी चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर सकेगी और मैं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूंगा।

मैं, यह प्रतिभूति पत्र अपनी राजी खुशी, स्वस्थ चित्त से लिख देता हूँ तथा इसके प्रमाण से नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं दो मोतबिरान की साक्षी भी दिला दी है।

दिनांकः-

साक्षीः- हस्ताक्षर जामीन

साक्षीः-

प्रपत्र संख्या (4)

नगर निगम, जोधपुर (राज.)

नगर निगम, जोधपुर (विवाह स्थल) उपविधियां 2008 की उपविधि 6 के अन्तर्गत यह अनुज्ञा दी जाती है।

खाता संख्या	:	मूल फाइल संख्या	: .....
अनुज्ञा संख्या	:	गत अनुज्ञा संख्या	: .....
दिनांक	:	दिनांक	: .....

अनुज्ञा (लाइसेन्स)

नगर निगम, सीमा में स्थित विवाह स्थल/भवन संचालन के प्रयोजनार्थ

चूंकि निम्नलिखित व्यक्ति ने इस नगर निगम को निम्नलिखित धनराशि चुका दी है :-

शुल्क रुपया ..... वार्षिक

विलम्ब शुल्क .....

अन्य शुल्क .....

योग ..... रुपया अक्षरों में .....

अतः उसे उपविधियों में उल्लिखित शर्तों के अधीन और अनुसार (प्रयोजन) के निमित्त इस नगर की सीमा में स्थित विवाह स्थल/भवन वार्ड संख्या..... मौहल्ला.....

मकान संख्या..... जिसका पड़ौस :

पूर्व ..... उत्तर .....

पश्चिम ..... दक्षिण .....

उक्त स्थित विवाह स्थल/भवन जिसकी लम्बाई ..... चौड़ाई.....

लंबाई ..... चौड़ाई..... जिसका कुल क्षेत्रफल ..... वर्ग फीट है.

के संचालन हेतु दिनांक ..... से ..... तक के लिए यह अनुज्ञा दी जाती है।

अनुज्ञाधारी (लाइसेन्सी का ब्योरा)

नाम ..... पिता .....

उम्र.....निवास स्थान ..... वार्ड/मकान संख्या.....

जमानती का नाम ..... पिता ..... पता .....

अनुज्ञा कर्मचारी अनुज्ञाधारी अनुज्ञाप्राधिकारी (आयुक्त)
नगर निगम, जोधपुर

प्रपत्र संख्या (5)

श्री अनुज्ञा अधिकारी जी, (आयुक्त)
नगर निगम, जोधपुर

विषय :– अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु।

अनुज्ञाधारी का नाम ..... पिता/पति .....

उम्र ..... वर्ष निवास (स्थान) .....

वार्ड संख्या .....विवाह स्थल/भवन का पता .....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अनुज्ञा–पत्र संख्या ..... (खाता संख्या .....) जो मेरे/हमारे नाम पर हैं को दिनांक .....से.....तक के लिये नवीनीकरण करने का कष्ट करावें।

पूर्व अनुज्ञा–पत्र इसके साथ संलग्न है।

अनुज्ञाधारी
(आवेदक)

प्रस्ताव – 1

आज दिनांक 4–3–06 की साधारण सभा बैठक में एजेण्डा की विषय सूची संख्या 3 अन्य अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से निगम की आय बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा के तहत निम्न उपनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

प्रस्ताव संख्या – नगर परिषद् (वर्तमान में निगम), जोधपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानों के नियंत्रण एवं नियमन विषयक उपनियम) 1991 में राजस्थान नगर–पालिका अधिनियम, 1959 (सन् 1959 की अधिनियम संख्या 38) की धारा 90 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) के उप–खण्ड (4) (5) सपठित धारा 111 के अन्तर्गत संशोधन :

होटल	उपनियम	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
प्रथम श्रेणी	11 (1) क	500	10000
द्वितीय श्रेणी	11 (1) ख	300	8000
तृतीय श्रेणी	11 (1) ग	200	6000
चतुर्थ श्रेणी	11 (1) घ	125	4000
रेस्टोरेन्ट/प्रथम श्रेणी	11 (2) क	35	3000
ढाबा/होटल/मिष्ठान भण्डार	11 (2) ख	25	3000
नमकीन की दुकान	11 (2) ग	15	1000
खोमचे फेरेवाले	11 (3)	7	100

होटल	उपनियम	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
बेकरी/आईस फैक्टरी आदि	11 (3) (i)	25	2000
पान की दुकान	11 (3) (ii)	15	200
किराणा, तेल, घी आदि	11 (3) (iii)	12	200
डेयरी दूधशाला आदि	11 (3) (iv)	–	–
प्रथम श्रेणी		100	500
द्वितीय श्रेणी		60	300
तृतीय श्रेणी		30	200
11 (ए) धारा जोडी जाती है:–			
पांच सितारा (डिलक्स)	11 (ए) (i)		50000
पांच सितारा	11 (ए) (ii)		25000
चार सितारा	11 (ए) (iii)		15000
तीन सितारा – दो सितारा	11 (ए) (iv)		12000
एक सितारा	11 (ए) (v)		10000
पेइंग गेस्ट हाऊस	11 (ए) (vi)		2000
नमकीन उद्योग (उत्पादन)	11 (ए) (vii)		3000
* समस्त प्रकार के हैण्डीक्राफ्ट आईटम	11 (ए) (viii)	on annul Turnover	0.5%

उपनियम 7 (2) की अंतिम लाईन 'एक रुपया प्रतिदिवस की दर से अतिरिक्त शुल्क' के बाद 'अधिकतम पांच सौ रुपये विलम्ब शुल्क' देय होगा, जोडा व पढ़ा जावे।

नगर परिषद् (वर्तमान में निगम) जोधपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानों के नियंत्रण एवं नियमन विषयक उपनियम) 1991 में उक्त संशोधन निगम की नियम, सार्वजनिक परिवहन समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 17–11–05 को पारित किया गया एवं नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित की गई।

अतः नगर परिषद् (वर्तमान में निगम) जोधपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानों के नियत्रंण एवं नियमन विषयक उपनियम, 1991 में उक्त संशोधन प्रस्ताव सदन में पारित कर राज्य सरकार को भेजे जाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

ह. ह.

समर्थक **प्रस्तावक**

(डॉ. चिमनसिंह परिहार) **(राजेन्द्र बोहरा)**

श्री अनिल टाटिया ने कहा प्रस्ताव के उपनियम 11(ए) में पेइंग गेस्ट के आगे हाऊस जोड़ा जाय (पेइंग गेस्ट हाऊस) तथा होटल की श्रेणी में 'हेरिटेज' (हेरिटेज़ होटल) भी जोड़ा जाय।

अध्यक्ष महोदया ने उक्त संशोधनों के साथ प्रस्ताव पारित करने के लिये सदन से अनुरोध किया उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करने पर अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित होने की घोषणा की।

ह. अपाठ्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पदेन आयुक्त,
नगर निगम, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।